

FORMS SL - 1

Nomination under section 45 ZE of the banking Regulation Act 1949 and Rule 4(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 by sole hirer in respect of safety locker.

I _____ Nominate
(Name and Address)
the following person to whom in the event of my death

(Name and Address of the branch/office in which the locker is situated)

May give access to the locker and libelity to remove the contents of the locker. Particulars whereof are given below

Locker			Nominee			
Nature of	Distinguishing Mark of No.	Additional details if any	Name	Address	Relationship with hirer if Any	Age

Place : Ujjain
Date

Name(s) Signature(s) and
Address(es) of witness(es)@

*signature/Thumb impression
of hirer

*where the locker is hired solely in the
Name of minor, the nomination should
be signed by a person lawfully entitled to act on the minor
@ Thumb impression shall be attested by two witnesses

VIKRAMADITYA NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT. UJJAIN

Shri/Smt./Kum.
Dear Sir/ Madam

NOMINATION FACILITY

We acknowledge receipt or nomination made in favour of shri/ Smt/ Kum.
 _____ Aged _____ years in
 respect of your safe Deposit Locker No. _____ with the branch of Form SL 1A

Dated _____

Your Faithfully
Manager

FORMS SL - 1A

Nomination under section 45 ZE of the banking Regulation Act 1949 and Rule 4(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 by sole hirer in respect of safety locker.

I _____ Nominate
(Name and Address)
the following person to whom in the event of my death

(Name and Address of the branch/office in which the locker is situated)

May give access to the locker and libelity to remove the contents of the locker. Particulars whereof are given below

Locker		Nominee				
Nature of	Distinguishing Mark of No.	Additional details if any	Name	Address	Relationship with hirer if Any	Age

Place : Ujjain
Date

Name(s) Signature(s) and
Address(es) of witness(es)@

*signature/Thumb impression
of hirer

*where the locker is hired solely in the Name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on the minor @ Thumb impression shall be attested by two witnesses

VIKRAMADITYA NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT. UJJAIN

Shri/Smt./Kum.
Dear Sir/ Madam

NOMINATION FACILITY

We acknowledge receipt or nomination made in favour of shri/ Smt/ Kum. _____ Aged _____ years in

respect of your safe Deposit Locker No. _____ with the branch of Form SL 1A _____

Dated _____

Your Faithfully
Manager

वर्तमान लॉकर रखने वाले ग्राहको से यह कवरिंग पत्र प्राप्त किया जाए

स्थान : — उज्जैन

दिनांक :

सेवा में,

प्रबंधक,

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
उज्जैन शाखा

महोदय/महोदय,

विषय :- सुरक्षित जमा लॉकर सं.....

- मुझे/हमे आपके द्वारा दिनांकको मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित करार (पुराना करार) के संबंध में उपर्युक्त सुविधा प्रदान की गई है।
- इस संबंध में मैं/हम इसके साथ, पुराने करार के स्थान पर तथा/या प्रतिस्थापन मे मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित (नया करार) नया सुरक्षित जमा लॉकर करार (जैसा कि बैंको द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा संशोधित, अंशोधित अनुदेश शीर्षक से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. आरबीआई/2021-2022/86 डीओआर.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 दिनांक 18 अगस्त 2021 जो समय समय पर संशोधित, आशोधित, प्रतिस्थापित तथा/या जोड़ा जा सकता है, के तहत अपेक्षित है) संलग्न कर आपको प्रस्तुत करता हूँ/करते है।
- मैं/हम इस सम्बंध में स्पष्ट रूप से समझते है, स्वीकार करते है तथा सहमत है कि नए करार मे वर्णित निबंधन एवं शर्तें अब से उपर्युक्त सुविधा पर लागू होगी तथा नया करार उसके निष्पादन की दिनांक को तथा से पूर्ण रूप से पुराने करार का स्थान लेगें।

भवदीय,

	1	2	3	4
हस्ताक्षर				
नाम				
पदनाम/हैसियत*				

(*ऐसे मामले मे जहाँ ग्राहक एकल व्यक्ति न हो/जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित न करें)
(ग्राहक)

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार नया करार

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन (मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत) विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, फाजलपुरा, उज्जैन	स्टाम्प
---	---------

लॉकर सं.....	स्थान - उज्जैन
चाबी सं.....	दिनांक.....

सुरक्षित जमा लॉकर करार

यह लॉकर करार, बैंक और उसके ग्राहक के बीच, इस करार की अनुसूची में उल्लिखित स्थान और तारीख को किया गया है ("करार")।

"बैंक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक एवं समनुद्देशित शामिल हैं और जब "ग्राहक"

1. एक या अधिक व्यक्ति हैं तो "ग्राहक" शब्द में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।
2. कोई स्वामित्व फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में फर्म के मालिक और उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।
3. कोई भागीदार फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में ऐसी फर्म, उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उत्तरजीवी या प्रत्येक के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।
4. कोई हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) है, तो "ग्राहक" शब्द में उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं, और
5. कोई लिमिटेड कंपनी है तो "ग्राहक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी शामिल हैं।

(बैंक और ग्राहक को प्रत्येक को "पार्टी" और उन्हें सामुहिक रूप से "पार्टियां" कहा जाएगा।)

जबकि :

- (क) सुरक्षित जमा लॉकर का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा से सम्पर्क किया है।
- (ख) कुछ निबंधनों एवं शर्तों के अधीन, ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक सहमत है, और
- (ग) इस सम्बंध में अपने आपसी समझौते को परिनिर्धारित करने हेतु पार्टियों ने इस करार पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है।

पार्टियों द्वारा तथा उनके बीच निम्नानुसार करार किया जाता है:-

1. लॉकर लायसेंस

- 1.1 लाइसेन्सदाता के रूप में बैंक एतद् द्वारा लाइसेंसधारक के रूप में ग्राहक को, इस करार में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन, सुरक्षित जमा लॉकर (यहां इसके पश्चात "लाकर" कहा गया है) का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। जिसके ब्यौरे का सुस्पष्ट वर्णन इस करार की अनुसूची में किया गया है।
- 1.2 ग्राहक एतद् द्वारा यहां अनुसूची में किराये (किराया) के रूप में निर्दिष्ट शुल्क के लिये यहां उल्लेखित शर्तों पर प्रदत्त लाइसेंस को स्वीकार करता है।
- 1.3 लॉकर का उपयोग करने का जो लाइसेंस एतद् द्वारा प्रदान किया गया है वह :-
 - ए) व्यक्तिगत है और ग्राहक के स्वयं के उपयोग के लिये है और ग्राहक से भिन्न किसी भी व्यक्ति के उपयोग के लिये नहीं,
 - बी) गैर-स्थानांतरणीय है,
 - सी) केवल वैध प्रयोजनों के लिये है, जैसे - आभूषण एवं दस्तावेज रखना और इसका प्रयोग किसी नकदी या मुद्रा रखने के लिये नहीं है,

डी) इसमें निम्नलिखित रखना मना है :-

1. शस्त्र, हथियार, विस्फोटक, नशीले प्रदार्थ और या वर्जित सामग्री और/या
2. कोई खराब होने वाले वस्तु और/या रेडियोधर्मी सामग्री और/या अवैध वस्तु, और/या
3. कोई सामग्री जो बैंक या उसके किसी ग्राहक के लिये खतरा या परेशानी उत्पन्न कर सकती हो।

1.4 इस करार के तहत निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लॉकर परिचालित करने एवं उसका उपयोग करने के अधिकार के अलावा ग्राहक को इस लॉकर में कोई अधिकार या सम्पत्ती नहीं होगी।

1.5 ग्राहक को :

ए) बैंक के किसी भी कार्य दिवस पर लॉकर परिचालन हेतु बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित समय के दौरान और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के कारोबार समय के दौरान, लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी। तथापि, यदि बैंक अपने नियंत्रण से परे किसी कारणों जैसे बाढ़, उपद्रव, कर्फ्यू, लॉकडाउन आदि से बंद रहता है तो लॉकर परिचालन की अनुमति देने हेतु बैंक बाध्य नहीं होगा,

बी) बैंक के अभिलेखों में, बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से लॉकर परिचालन के व्यौरो की प्रविष्टि करने के पश्चात, लॉकर परिचालित करने की अनुमति होगी, और

सी) बैंक द्वारा मांगा गया पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी।

2. ग्राहक के वचन एवं बाध्यताएँ

2.1 ग्राहक :-

- ए) लॉकर का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये उसे उपलब्ध कराया गया है और लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप उसका उपयोग करेगा,
- बी) लॉकर परिचालन के संबंध में बैंक द्वारा समय समय पर अपनाए गए नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा,
- सी) लॉकर खोलने के लिये बैंक द्वारा प्रदत्त चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखेगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं देगा ताकि लॉकर का प्राधिकृत उपयोग संरक्षित रहे,
- डी) लॉकर का परिचालन केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र का प्रयोग करते हुए करेगा, और अन्यथा नहीं
- ई) लॉकर के संचालन के लिये बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसकी कॉपी नहीं बनाएगा,
- एफ) लॉकर के संचालन के लिये बैंक द्वारा प्रदान की गयी चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के खो जाने की स्थिति में बैंक को तुरन्त सूचित करेगा,
- जी) लॉकर के संचालन के लिये बैंक द्वारा प्रदान की गयी चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था तुरन्त वापस करेगा यदि पूर्व में उनके खो जाने की सूचना उसने बैंक को दी हो,
- एच) देय होने पर बैंक को किराये का भुगतान करेगा और निम्नलिखित के लिये बैंक द्वारा किये गए सभी खर्चों का वहन करेगा -
- 1) बैंक द्वारा प्रदान की गयी चाबी के गुम होने की ग्राहक की सूचना पर लॉकर के लॉक को बदलना और उसकी मरम्मत करना, तथा
 - 2) इस करार की शर्तों के अनुसार लॉकर को तोड़कर खोलना।
- आई) ग्राहक के पते में परिवर्तन होने पर बैंक को तुरन्त सूचित करें तथा फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाईल नंबर आदि सहित नया पता और सम्पर्क विवरण प्रदान करें।

3. बैंक के अधिकार

3.1 बैंक का अधिकार होगा कि वह,

- क) ग्राहक के खाते को डेबिट करते हुए लॉकर के संबंध में बैंक के किराये और किसी भी अन्य लागत की वसूली करे, यदि ग्राहक द्वारा देय होने पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तथा

- ख) लॉकर परिचालन करने की अनुमति न देना—
1. यदि लॉकर पर देय किराया बकाया रहता है, तथा
 2. लॉकर का उपयोग करते समय बैंक द्वारा मांगे जाने पर ग्राहक, पहचान का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहता है।

3.2 लाईसेंस की समाप्ति

- 3.2.1 इस करार के संबंध में ग्राहक के उल्लंघन या चूक की स्थिति में और/या बैंक को यह समाधान हो जाए कि ग्राहक सहयोग नहीं कर रहा है और/या इस करार के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो बैंक को करार तथा इसके अंतर्गत लाईसेंस को समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु इसके पूर्व, ग्राहक को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कम से कम तीन महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी तथा (1) ई-मेल द्वारा भी, जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है और (2) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा जहां ग्राहक का मोबाईल फोन नंबर उपलब्ध है। (समाप्ति सूचना)।
- 3.2.2 टर्मिनेशन नोटिस प्राप्त होने पर, लाईसेंसकर्ता तुरंत तथा टर्मिनेशन नोटिस के अंतर्गत निर्धारित नोटिस अवधि के अंत से पहले लॉकर को सरेंडर करेगा और उसे खाली करेगा तथा बैंक द्वारा लॉकर खोलने पर प्रदान की गयी चाबियां, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान व्यवस्था और दस्तावेज बैंक को सौंप देगा।

3.3 लॉकर को तोड़ना और उसकी सामग्री के संबंध में कार्यवाही करना -

- 3.3.1 इस करार के प्रावधानों, बैंक की आंतरिक नीति(यों) और प्रक्रिया(ओं) और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी एक या अधिक निम्नलिखित घटनाओं के होने पर बैंक के पास लॉकर को तोड़ने और इसकी सामग्रियों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार होगा -
ए) यदि ऐसा होता है कि उपबंध 3.2.1 के अनुसार ग्राहक को टर्मिनेशन नोटिस दिया जाता है और ग्राहक टर्मिनेशन नोटिस के अन्तर्गत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद लॉकर को सरेंडर और खाली नहीं करता है,
बी) किराया लगातार 3 (तीन) वर्षों तक नहीं चुकाया जाता है, तथा
सी) लॉकर 7 (सात) साल या उससे अधिक की अवधि के लिये निष्क्रिय रहता है (चाहे किराये का भुगतान किया हो या नहीं) और बैंक द्वारा ग्राहक का पता नहीं लगाया जा सका है।
- 3.3.2 लॉकर को तोड़ने के अधिकार के प्रयोग करने से पहले, लॉकर को तोड़ने की बैंक की प्रस्तावित कार्यवाही के विषय में बैंक, ग्राहक को कम से कम 3 (तीन) महीने की लिखित सूचना (उपर्युक्त खंड 3.2.1 के तहत समाप्ति नोटिस के अलावा) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजेगा और (1) ईमेल द्वारा, जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है तथा (2) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा जहां ग्राहक का मोबाईल फोन नंबर उपलब्ध है। (तोड़ने की सूचना)
- 3.3.3 इस करार के अंतर्गत कुछ भी होने के बावजूद, लॉकर तोड़ने से पहले बैंक, ग्राहक के मोबाईल फोन पर संदेश भेजकर, ग्राहक के पते पर व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, ग्राहक की लैंड लाईन/मोबाईल पर फोन काल आदि करके, ग्राहक से सम्पर्क करने का हर संभव प्रयास करेगा।
- 3.3.4 यदि बैंक द्वारा भेजे गए टर्मिनेशन नोटिस और लॉकर तोड़ने के नोटिस को बिना सुपुर्द किए लौटा दिया जाता है या बैंक द्वारा उचित प्रयास किए जाने के बावजूद ग्राहक का पता नहीं लग पाता है, जिससे उपर्युक्त उपबंध 3.3.2 और 3.3.3 के अंतर्गत उक्त पर्याप्त प्रयास शामिल है तो बैंक, लॉकर को तोड़ने से पहले, लॉकर को तोड़ने के बैंक के इरादे के बारे में कम से कम 3 (तीन) महीने के अंदर न्यूनतम 2(दो) समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) सार्वजनिक सूचना जारी करेगा तथा यह सूचना उसी स्थान पर दी जायेगी जहां ग्राहक रहता है, जैसा कि संबंधित करार में कहा गया है या ग्राहक द्वारा बैंक को बाद में सूचित किया गया है।
- 3.3.5 लॉकर तोड़ने की कार्यवाही एक समिति की उपस्थिति में की जायेगी जिसमें बैंक के 2(दो) अधिकारी होंगे तथा साक्षी के रूप में 2(दो) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। इलेक्ट्रानिक रूप से संचालित लॉकर (स्मार्ट वॉल्ट सहित) की स्थिति में लॉकर खोलने के लिये "वाल्ट एडमिनिस्ट्रेटर" पासवर्ड का उपयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्ससेस का पूरा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जाएगा।

- 3.3.6 ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉकर को तोड़ने पर, बैंक, लॉकर की सामग्री की सूची तैयार करेगा और बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से सामग्री का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और विस्तृत सूची के साथ लॉकर की सामग्री को सीलबंद लिफाफे में किसी अग्निरोधक तिजोरी के अंदर टेम्परप्रूफ तरीके से रखा जायेगा।
- 3.3.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त इन्वेंट्री मूल्यांकन के साथ बैंक, लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी रिकार्ड करेगा और इसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में साक्ष्य प्रदान किया जा सकें।
- 3.3.8 इसके अतिरिक्त बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉकर का ताला तोड़ने के विवरण का लिखित रूप में उल्लेख, लॉकर रजिस्टर के अलावा बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी साईबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का अनुपालन करने वाला अन्य कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में किया गया है।
- 3.3.9 ऊपर उल्लेखित अनुच्छेदों में बताए गए तरीके से तैयार की गई इन्वेंटरी में रिकार्ड किए गए अनुसार लॉकर के सामान का निपटान या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री करके किया जाएगा तथा बिक्री से प्राप्त राशियों का प्रयोग सबसे पहले ग्राहक द्वारा बैंक को देय राशियों (बकाया किराया, लॉकर का ताला तोड़ने संबंधी प्रभारों तथा देय राशियों सहित) को चुकाने के लिये किया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान ग्राहक को किया जाएगा या फिर सामान को ग्राहक को के आदेश पर निपटान के लिये रखा जाएगा।
- 3.3.10 सार्वजनिक नीलामी करके लॉकर के सामान की बिक्री करने से पहले बैंक द्वारा ग्राहक को, बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिये लॉकर के सामान की नीलामी करने के बैंक के इरादे संबंध में पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित नोटिस, जो तीन माह से पुराना न हो, तथा (1) यदि ग्राहक का ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ईमेल द्वारा, तथा (2) यदि ग्राहक का मोबाईल नंबर उपलब्ध है तो एसएमएस तथा/व्हाट्सअप द्वारा भी) जारी किया जाएगा। उक्त नोटिस ("नीलामी नोटिस") में नीलामी की तारीख, समय तथा स्थान का उल्लेख होगा और यहाँ उल्लिखितानुसार बनाई गई लॉकर के सामान की इन्वेंटरी की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

4. उत्तरदायित्वों तथा देयताओं से बैंक का उन्मोचन

- 4.1 किसी भी स्थिति में लॉकर के सामान के क्षय या नुकसान के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह बारिश, आग, बाढ़, भूकम्प, बिजली गिरने, नागरिक अशांति या उपद्रव, दंगे युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या अन्य समान कारणों से हुई हो।
- 4.2 ग्राहक की गलती या लापरवाही के फलस्वरूप किसी भी कृत्य से लॉकर के सामान की किसी भी क्षति/हानि के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4.3 लॉकर को तोड़कर खोलने या लॉकर की सामग्री का इस करार के प्रावधानों के अनुरूप निपटान करने में ग्राहक की ओर से हुए किसी व्यय, घाटे या देयता (लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान और/या घाटे सहित) के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और वह अपने दायित्वों से उन्मोचित रहेगा।
- 4.4 उपर्युक्त के बावजूद, लॉकर के संबंध में बैंक की जवाबदारी हमेशा लागू कानून और विनियमों के तहत परिसीमा के अधीन होगी।
- 4.5 लॉकर में रखी सामग्री को बैंक द्वारा किसी भी तरह से बीमाकृत नहीं माना जाएगा और किसी भी जोखिम के लिये लॉकर में रखी सामग्री की बीमा के संबंध में बैंक की देयता नहीं होगी।

5. कानून एवं अधिकार क्षेत्र

यह करार भारतीय कानून के अधीन बनाया गया है और इससे संबंधित सभी मामले उन न्यायालयों के अधिकार के क्षेत्र में आएंगे जहाँ बैंक स्थित है या जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बैंक आता है।

अनुसूची

स्थान - उज्जैन		दिनांक
इस करार के पक्षकार		
1(ए)	बैंक	विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन (मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत) विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, फाजलपुरा, उज्जैन
	शाखा	विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट फाजलपुरा- उज्जैन
1(बी)	ग्राहक	नाम एवं पता :-
1. नाम :		2. नाम :
पता :		पता :
इमेल आईडी :		इमेल आईडी :
टेलीफोन नंबर :		टेलीफोन नंबर :
मोबाईल नंबर :		मोबाईल नंबर :
3. नाम :		4. नाम :
पता :		पता :
इमेल आईडी :		इमेल आईडी :
टेलीफोन नंबर :		टेलीफोन नंबर :
मोबाईल नंबर :		मोबाईल नंबर :
2	लॉकर का विवरण	लॉकर नंबर :-
		चाबी का नम्बर :-
3	प्रतिवर्ष लॉकर का किराया	रु. (अंको में) : रुपये शब्दों में : (समय समय पर यथा संशोधित) (अग्रिम के रूप में देय).....
4	लाइसेंस की अवधि	इस करार की तारीख से 1 (एक) वर्ष, जिसे ऐसे एक वर्ष की समाप्ति पर हर बार स्वतः और 1(एक) वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि यहाँ उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस को समाप्त न कर दिया गया हो।
5	परिचालन अधिदेश	स्वयं ☐ दोनों में से कोई एक अथवा उत्तराधिकारी ☐ पहला या उत्तराधिकारी ☐ संयुक्त रूप से ☐ कोई एक या उत्तराधिकारी ☐ अन्य (कृपया उल्लेख करें).....
6	अन्य कोई शर्त	

जिसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस करार पर हस्ताक्षर को निष्पादित किया है।

	1	2	3	4
हस्ताक्षर				
नाम				
पदनाम/हैसियत*				

(*जहाँ ग्राहक एकल-व्यक्ति न हो/जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर न करें)

बैंक के लिये (बैंक का नाम/शाखा का नाम)	
विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन शाखा - उज्जैन	
हस्ताक्षर :	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	पद नाम